



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(5) परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-08/संस्था/2011/ 487 जयपुर दिनांक:- 2/3/16

—:आदेश:—

श्री राकेश जैन, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट जिला पाली का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-27/539 दिनांक 17.2.2016 से राजस्थान तहसीलदार सेवा में किया गया है। श्री जैन द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से राजस्थान तहसीलदार सेवा हेतु कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः श्री जैन को राजस्थान तहसीलदार सेवा में चयन उपरान्त राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान तहसीलदार सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. निबन्धक (रातस), राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को उनके आदेश क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-27/539 दिनांक 17.2.2016 के क्रम में सूचनार्थ।
7. निदेशक, आर.आर.टी.आई, अजमेर।
8. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर पाली।
10. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट जिला पाली।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. प्रोगामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
14. संबंधित अधिकारी।
15. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)